कोलियरियों से प्राप्त कोयले को उदारीकृत बिक्री योजना के तहत पेशकश की जाती है। उपभोक्ताओं को अपने आर्डरों की बुकिंग कराने का अवसर क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक अहमदाबाद के माध्यम से भी प्रदान किए गये हैं।

Energy efficient label products

1058. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in many countries it is mandatory for the manufacturers of home appliances to affix energy efficient label on their products;

(b) whether it is also a fact that this practice has not yet been adopted by the local manufacturers of such products;

(c) whether Government propose to direct the manufacturers of such appliances to have such a label on their products; and

(d) if so, by when and if not reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) As per the information available, energy labelling is being done on some domestic appliances in some countries.

(b) The concept of energy labelling on home appliances is not widely prevalent in India.

(c) No such proposal is presently under consideration.

(d) The process of identification of criteria for energy efficiency through standards has been initiated.

विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सर्वेक्षण

1059. **श्री भागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिविल निर्माण, कृषि, ईंटों के भट्ठों तथा स्टोन वर्क्स सेक्टर और होटलों में कार्यरत व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार एवं उनके कल्याण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, जो श्रम मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, ने भवन और निर्माण उद्योग, ईंट भट्ठा उद्योग तथा पत्थर खदान उद्योग में लगे कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों के कुछ सर्वेक्षण करवाए हैं। ब्यूरो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सामान्य रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों के साथ पंचवर्षीय आधार पर आयोजित ग्रामीण श्रम जांचों के संबंध में रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है। कुछ सर्वेक्षणों के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भवन निर्माण उद्योग, ईंट भट्ठा उद्योग तथा पत्थर खदान उद्योग में लगे कर्मकारों की परिस्थितियों के संबंध में कराए गए सर्वेक्षणों के निष्कर्ष

I. दिल्ली में भवन और निर्माण उद्योग का सर्वेक्षण (1977-78)

सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिला कर्मकार कुल श्रम बल का लगभग 20% थीं और अकुशल कार्यों में लगी थीं। बालकों का नियोजन भी विद्यमान पाया गया था। दैनिक मजदूरी की अदायगी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार की जाती थी। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत अदायगी को छोड़कर कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया नहीं करवाए जा रहे थे। कुशल कर्मकारों का लगभग 38% और अकुशल कर्मकारों का लगभग 56.7% ऋण ग्रस्त पाए गए।

II. हरियाणा में ईंट-भट्ठा उद्योग का सर्वेक्षण (1982)

सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्पादन प्रयोजनों के लिए केवल पुरुष नियोजित थे। इनमें से 97% कर्मकार

उजरती-दर आधार पर नियोजित थे। समय-दर वाले और उजरती दर वाले कर्मकारों की न्यूनतम और अधिकतम आमदनी क्रमशः 15.00 रु० से 15.55 रु० तथा 14.00 रु० से 26.00 रु० प्रति दिन थी। कार्य घंटे निर्धारित नहीं थे तथा कर्मकारों के लिए सवेतन छुट्टी और अवकाश नहीं दिया जाता था। कतिपय सामाजिक सुख-सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवायी जाती थीं। 68% कर्मकारों के बारे में सूचना है कि अन्य राज्यों से प्रवास पर आए थे।

III. भारत में पत्थर-खदान उद्योग का सर्वेक्षण (1994)

अध्ययन से पता चलता है कि 82.5% कर्मकार पुरुष थे, 17.3% महिलाएं थीं और शेष 0.2% बच्चे थे। लगभग 45% कर्मकार स्थायी थे और शेष अस्थायी अथवा नैमित्तिक कर्मकार थे। कुशल कर्मकारों की आमदनी 43.80 रु० से 71.66 रु० तक थी, अर्द्ध-कुशल कर्मकारों की 30.00 रु० से 70.54 रु० और अकुशल कर्मकारों की आमदनी 13.80 रु० से 45.11 रु० तक थी। 73.2% इकाईयां बोनस अधिनियम के अनुसार बोनस अदा कर रही थीं और शेष त्यौहार बोनस अदा कर रही थी। 8.3% इकाईयों से व्यवसाय संघ गतिविधियों की सूचना है और 18.3% कर्मकार संघों के सदस्य थे। लगभग 37% परिवार सदस्य अर्जक थे और शेष आश्रित थे। केवल 4% कर्मकारों ने माध्यमिक कक्षा से आगे पढ़ाई की थी और लगभग 66% सदस्य अनपढ़ थे। लगभग 26% परिवारों के ऋण ग्रस्तता की सूचना थी।

IV. ग्रामीण श्रम जांच (1987-88)

1987-88 के दौरान देश में ग्रामीण परिवारों की 108.4 मिलियन कुल अनुमानित संख्या में से लगभग 2/5 ग्रामीण परिवार थे (43.0 मिलियन)। ग्रामीण श्रमिक परिवारों में से कृषिय श्रमिक परिवार (33.3 मिलियन) 3/4 से अधिक थे। जांच से यह पता चला कि 1983 में 284 दिन और 230 दिन की तुलना में 1987-88 में कृषिय श्रमिक परिवारों के पुरुषों और महिलाओं द्वारा औसतन किये गये कार्य दिवस 295 दिन और 253 दिन थे। व्यस्त कृषिय श्रमिक परिवार श्रम दिवसों का प्रमुख हिस्सा (76.9%) मजदूरी संदत्त रोजगार था। रिपोर्ट में ग्रामीण/कृषिय श्रमिक परिवारों में अल्प रोजगार का भी उल्लेख किया गया है। पुरुष कर्मकारों में अल्प रोजगार की तीव्रता 1983 में 14.46% की तुलना में 1987-88 में 11.94% थी। महिला कर्मकारों के लिए, ये आंकड़े 1983 में 16.97% और 1987-88 में 10.60% थे।

मजदूरी और आय

कृषिय श्रमिक परिवारों की सभी श्रेणियों के पुरुष, महिला और बच्चों, जो कृषि व्यवसाय में कार्यरत थे, की औसत दैनिक आय 1983 में 4.72 रु०, 3.56 रु० और 2.32 रु० से बढ़कर 1987-88 में 9.28 रु०, 7.00 रु० और 6.01 रु० हो गयी।

V. उपभोग व्यय

(क) ग्रामीण श्रमिक परिवारों का औसत वार्षिक परिवार व्यय 1987-88 में रु० 7055 था जो 1983 के स्तर से 40.4% अधिक था। कुल उपभोग व्यय का प्रमुख हिस्सा (66.25%) खाद्य सामग्री पर व्यय से संबंधित था।

(ख) ऋण ग्रस्तता

ग्रामीण श्रमिक परिवारों में ऋण ग्रस्तता का भार 1983 में 50.42% की तुलना में 1987 में 39.10% थी। ऋण का प्रमुख हिस्सा पारिवारिक उपभोग विवाह और अन्य गृहकार्य, भूमि की खरीद और भवन निर्माण के कारण था।

Targets for Jawahar Rozgar Yojana in Punjab

1060. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what were the targets fixed under the Jawahar Rozgar Yojana in Punjab during the year 1994-95 and how far the same has been achieved;

(b) the details thereof;

(c) whether it is a fact that the said targets are not being achieved; and

(d) if so, the steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (d) The financial and physical performance under the Jawahar Rozgar Yojana (JRY) for the State of Punjab